भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1583
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-जी

1583. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित आवासों की जिलेवार संख्या कितनी है और क्या इस संख्या में जिला -दर-जिला घट-बढ़ होती रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो यवतमाल-वाशिम जिलों में अब तक स्वीकृत और निर्मित आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी है और महाराष्ट्र में अब तक स्वीकृत न किए गए उन आवासों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या केंद्र सरकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि , तकनीकी संसाधन या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना बना रही है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई -जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल और आवास + 2018 सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र का मौजूदा लाभार्थी डेटाबेस मंत्रालय द्वारा लक्ष्यों के आवंटन के माध्यम से पहले ही पूर्ण हो चुका है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य को 43,70,829 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है जिसकी तुलना में राज्य ने 40,82,626 लाभार्थियों को मंजूरी दी है और दिनांक 24.07.2025 तक 13,80,724 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। मंत्रालय पूरे राज्य /संघ राज्य क्षेत्र को लक्ष्य आवंटित करता है और राज्य द्वारा जिलावार /ब्लॉकवार/ग्राम पंचायतवार लक्ष्य तय किए जाते हैं। दिनांक 24.07.2025 तक वाशिम और यवतमाल जिलों सहित , राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों , स्वीकृत आवासों और निर्मित आवासों का जिलावार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने हेतु एक अभ्यास के संचालन को भी मंजूरी दी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप , योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। 27 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया परिवार सर्वेक्षण , आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है , जिसे दिनांक 17.09.2024 को शुरू किया गया था। आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण की प्रारंभिक समय -सीमा 31 मार्च, 2025 थी जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 अप्रैल 2025 तथा 15 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समय-सीमा में विस्तार का अनुरोध किया था , उन्हें सर्वेक्षण अभ्यास पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए बढाई गई समय सीमा 31 जुलाई, 2025 है।

(च) से (ज): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए वित्त पोषण का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच 90:10 है, जबकि शेष राज्यों के लिए यह अनुपात केंद्र और राज्य के बीच 60:40 है। गैर विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, 100% वित्त पोषण केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई रूपरेखा (एफएफआई) के अनुसार प्रशासनिक निधि के लिए कार्यक्रम निधियों के 2% का प्रावधान किया गया है जिसमें निर्धारित विभाजन के अनुसार प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्रीय स्तर पर 0.30% निधियों का रखा जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.70% निधियां जारी की जाती है।

2% प्रशासनिक निधि की इस समग्र सीमा के भी तर, पीएमएवाई-जी, केंद्रीय निधि अंश से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पहाड़ी राज्यों को अतिरिक्त प्रशासनिक निधि का भी प्रावधान करता है।
इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 5% तक लक्ष्य विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित हैं। मंत्रालय, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन रुपरेखा के अनुसार राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विशेष परियोजनाओं के लिए लक्ष्य आवंटित करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित तरीके से तकनीकी सहायता प्रदान करता है:

i. आवास सॉफ्ट एमआईएस के माध्यम से लेन -देन प्रक्रियाओं की समग्र निगरानी और ट्रैकिंग।
ii. आवासों के निरीक्षण के लिए एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन - 'आवास+ ऐप'। यह एप्लीकेशन अधिकारियों और नागरिकों को निर्माण के विभिन्न चरणों में आवास की जियो-टैग टाइम -स्टैम्प तस्वीरें लेने औ र अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है , जिससे सत्यापन में लगने वाला समय कम हो जाता है।
iii. पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य /जिला/ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन का प्रावधान।
iv. विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के वि विध परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए , पहल - हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी का एक संग्रह तैयार किया गया है और यह पीएमएवाई -जी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

v. मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें और क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं , जिनमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शामिल है।

अनुबंध

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-जी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1583 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित जिलावार लक्ष्य, स्वीकृत आवास, निर्मित आवास और स्वीकृति की तुलना में निर्माण अंतराल (24.07.2025 तक)

क्र.सं	जिले का नाम	राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास	स्वीकृति की तुलना में निर्माण अंतराल
1	अहमदनगर	187536	186562	58907	127655
2	अकोला	87375	85972	49675	36297
3	अमरावती	162004	150921	85836	65085
4	बीड	206737	194814	39252	155562
5	भंडारा	120016	118904	61647	57257
6	बुलढाना	151928	141504	35762	105742
7	चंद्रपुर	104398	98531	42988	55543
8	छत्रपति संभाजी नगर	166720	159856	36523	123333
9	धाराशिव	83694	78328	12955	65373
10	धुले	181326	174926	62279	112647
11	गडचिरोली	79919	78541	37321	41220
12	गोंदिया	162419	161552	105915	55637
13	हिंगोली	100095	90001	18117	71884
14	जलगांव	215695	207803	72808	134995
15	जालना	158793	143043	23944	119099
16	कोल्हापुर	71758	70654	16246	54408
17	लातूर	95154	89929	18149	71780
18	नागपुर	57562	56538	35205	21333
19	नांदेड़	310449	275413	63819	211594
20	नंदुरबार	258852	251924	115580	136344

21	नासिक	255256	247147	94303	152844
22	पालघर	95771	95755	41694	54061
23	परभनी	146260	133540	19867	113673
24	पुणे	59494	56890	17875	39015
25	रायगढ़	25985	25858	9948	15910
26	रत्नागिरि	29290	29063	10047	19016
27	सांगली	67474	63673	19791	43882
28	सतारा	58746	57436	15309	42127
29	सिंधुदुर्ग	16885	16826	5629	11197
30	सोलापुर	157138	146363	41326	105037
31	थाणे	28752	28659	10278	18381
32	वर्धा	40507	38933	19048	19885
33	**वाशिम**	**88398**	**88100**	**19896**	**68204**
34	**यवतमाल**	**250464**	**238667**	**62785**	**175882**
	कुल	**42,82,850**	**40,82,626**	**13,80,724**	**27,01,902**

****